न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–01, मेरठ।
पीठासीन अधिकारी– नाहिद सुल्ताना(उ.प्र. न्यायिक सेवा)
सरकार बनाम

चालानो की संख्या–3500
धारा–एम.वी.एक्ट
थाना यातायात, मेरठ।

दिनांक 09.05.2026

पत्रावली प्रस्तुत। संलग्न सूची संख्या 01 में प्रदर्शित चालान 01 ता 3,500 पेश की गई। कार्यालय द्वारा आख्या इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ''सूचि में वर्णित चालान संख्या 01 ता 3,500 वर्ष 2021 तक के हैं, जो शासन द्वारा उपसमित किये जा चुके हैं।''

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत चालान मूलतः 31, दिसंबर 2021 से पूर्व संस्थित चालान है तथा लघु (पिटी) केस की श्रेणी का प्रकरण है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना विधाई अनुभाग– 01 संख्या में 22/791–2023–2 क–2–2023 लखनऊ दिनांकित 22.03.2022 में यह उपबंध किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2013 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–2 सन 2023) जिसमें गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से संबंधित है, में यह प्रख्यापित किया गया है कि

उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा–9 की उपधारा–2 में शब्द और अंक ''31 दिसंबर, 2016'' के स्थान पर अंक ''31 दिसंबर, 2021'' रख दिए जाएंगे।

उपरोक्त के अनुक्रम में माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र 1651/एस.एल.एस.ए–127/2022 (ऋ–सरन) दिनांकित 19.05.2023 बाबत उत्तर विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायालयों में अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त अध्यादेश अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किये गये अपराधों के साथ–साथ मोटरयान अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत किये गये चालानों पर भी प्रभावी है। अतः उक्त विधायी शासनादेश संशोधन में दिये गये दिशानिर्देशों व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गए दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की कार्यवाही को उपशमित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत वाद/चालान एम.वी.एक्ट, सूची में अंकित 01 ता 3,500 चालान की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नाहिद सुल्ताना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या 1, मेरठ।